न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं० 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/105/2025	2025/340	11.08.20255	15.9.2025

1– मौहम्मद हनीफ पुत्र नजीर जाति भिश्ती निवासी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2024 नामान्तरण संख्या 2997 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा, को निरस्त किये जाने बाबात।

उपस्थित–

01. श्री महावीर प्रसाद शर्मा

–वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित निर्णय दिनांक **23.11.2024** नामान्तकरण संख्या 2997 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॅार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 2094 रकबा 0.3500 है0 का 23/42 भाग, 1800 रकबा 0.11 है0, 1801 रकबा 0.13 है0 किता 2 रकबा 0.24 है0 का 1/2 भाग, 2011 रकबा 0.2800 है0 का 19/56 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास में स्थित है, उक्त आराजी पर मिन अपीलान्ट द्वारा यूको बैंक खैरथल से के.सी.सी. ऋण लिया, जिस ऋण की ऐवज में राजस्थान कृषि प्रचलन (कठिनाईया निराकरण) अधिनियम 1974 की धारा 6 (1) के तहत यूको बैंक शाखा खैरथल के हक में रहन का अंकन हुआ। मिन अपीलान्ट द्वारा यूको बैंक शाखा खैरथल से लिये के.सी.सी. ऋण की अदायगी कर दी गयी। तथा के.सी.सी. ऋण का नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 16.08.2024 को मिन अपीलान्ट को दिया गया। बैक द्वारा जारी नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 16.08.2024 के आधार पर मिन अपीलान्ट द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु अपने समस्त दस्तावेजात नोडयूज प्रमाण–पत्र, 6 (1) पटवारी हल्का खानपुर मेवान को दिया गया। जिस पर पटवारी हल्का खानपुर मेवान द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 2997 दिनाक 15.11.2024 को दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुऐ mutabik patwari riport and decoument mismatch by khate no 468, 696 and 697 mutation is not acceptable खारिज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा अपना निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सूचित नही किया गया। यदि कोई दस्तावेज रह भी गया तो उसकी पूर्ति हेतु तहत अदालत को समय देना चाहिए था लेकिन रहन मुक्त का नामान्तकरण बेजा रूप से खारिज किया गया है। तहत अदालत ने आलोंच्य आदेश पारित करने में सही जाप्ता काम में नही लिया गया, जिससे मिन अपीलान्ट

जिला कलक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

को काफी प्रज्यूडिस होना पडा है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत पारित किया गया है। पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 23.11.2024 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.07.2025 को हुई जिस पर नामान्तकरण की नकल प्राप्त की गयी, नलल प्राप्त होने पर बिना देरी किये अपील न्यायालय हाजा में पेश की गयी है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.11.2025 को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्टान की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 23.11.2024 के विरूद्व दिनाक 16.07.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 7 माह 23 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.08.2018 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.07.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य है, कि हाल आराजी खसरा न0 2094 रकबा 0.3500 है0 का 23/42 भाग, 1800 रकबा 0.11 है0, 1801 रकबा 0.13 है0 किता 2 रकबा 0.24 है0 का 1/2 भाग, 2011 रकबा 0.2800 है0 का 19/56 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास पर यूको बैंक खैरथल से के.सी.सी. ऋण लिया ऋण की ऐवज में राजस्थान कृषि प्रचलन (कठिनाईया निराकरण) अधिनियम 1974 की धारा 6 (1) के तहत यूको बैंक शाखा खैरथल के हक में रहन का अंकन हुआ। यूको बैंक शाखा खैरथल से लिये के.सी.सी. ऋण की अदायगी की जाकर के.सी.सी. ऋण का नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 16.08.2024 को जारी किया गया बैक द्वारा जारी नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 16.08.2024 के आधार पर रहन मुक्त का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेजात नोडयूज प्रमाण–पत्र, 6 (1) पटवारी हल्का खानपुर मेवान को दिया गया। जिस पर पटवारी हल्का खानपुर मेवान द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 2997 दिनाक 15.11.2024 को दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुऐ mutabik patwari riport and decoument mismatch by khate no 468, 696 and 697 mutation is not acceptable खारिज कर दिया गया। पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2997 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास खारिज किया जाता है, प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार हो, बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.9.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)